भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1599
09 दिसंबर, **2025** को उत्तरार्थ

विषय- पीएमएफबीवाई के तहत जलवायु की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों का कवरेज

1599. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों में बीमा कवरेज को बढ़ाने के लिए 2025 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत कोई नया घटक आरंभ किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ख) 2024-25 के दौरान महाराष्ट्र से विशेषकर से नंदुरबार जिले से पीएमएफबीवाई के अंतर्गत नामांकित किसानों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को जनजातीय क्षेत्रों में विलंबित दावा निपटान या गलत फसल क्षति आंकलन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हाँ, तो डिजिटल तरीके से फसल क्षति आकलन और उपग्रह आधारित निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार की दो हेक्टेयर से कम छोटी जोत वाले आदिवासी किसानों के लिए प्रीमियम सब्सिडी सहायता बढ़ाने की योजना है; और

(च) महाराष्ट्र के सूखाप्रवण एवं पर्वतीय जिलों में पीएमएफबीवाई दावा भुगतान वितरण सुधारों के पूर्ण कार्यान्वयन की समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): जी नहीं

(ख): वर्ष 2024-25 के दौरान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में नंदुरबार जिले के 1.16 लाख किसान आवेदनों सहित कुल 220.40 लाख किसान आवेदनों को नामांकित किया गया है।

(ग) से (च): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के प्रचालन दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार, अधिकांश दावों का निपटारा निर्धारित समय-सीमा अर्थात बीमा कंपनियों द्वारा संबंधित राज्य सरकार से अपेक्षित उपज डेटा प्राप्त होने के 21 दिनों के अंदर किया जाता है, तथापि, PMFBY के कार्यान्वयन के दौरान, दावों के भुगतान के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जो मुख्य रूप से (क) सब्सिडी का राज्य सरकार का हिस्सा प्रदान करने में देरी (ख) बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/विलंब से प्रस्तुत करने के कारण भुगतान न करना/विलंबित भुगतान या दावों का कम भुगतान (ग) उपज डेटा में विसंगति और इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद आदि के कारण हैं। इन मुद्दों के कारण लंबित दावों का निपटान योजना के प्रावधानों के अनुसार उनके समाधान के बाद किया जाता है।

सरकार ने पारदर्शिता लाने और दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए पूरे भारत में इस योजना के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं:

- सरकार ने सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना के प्रसार और किसानों के प्रत्यक्ष ऑनलाइन नामांकन सहित सेवाओं की डिलीवरी, बेहतर निगरानी के लिए व्यक्तिगत बीमित किसानों के विवरण अपलोड/प्राप्त करने और व्यक्तिगत किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि का अंतरण सुनिश्चित करने के लिए एकल डेटा स्रोत के रूप में **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP)** का विकास किया है।
- दावा वितरण प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान हेतु **'डिजिक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक समर्पित मॉड्यूल शुरु किया गया है। इसमें सभी दावों का समय पर और पारदर्शी प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए NCIP को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है।
- प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र सरकार के हिस्से को राज्य सरकारों के हिस्से से अलग रखना शुरु किया गया है ताकि किसानों को केंद्र सरकार के हिस्से से संबंधित आनुपातिक दावे मिल सकें।
- PMFBY के प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि बीमा कंपनी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो खरीफ 2024 से राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) के माध्यम से 12% का जुर्माना स्वतः गणना करके लगाया जाएगा।
- इसी प्रकार, यदि राज्य सरकार निर्धारित समय अवधि से अपनी प्रीमियम सब्सिडी में देरी करती है, तो उन्हें भी 12% का जुर्माना देना होगा।
- वर्ष 2025-26 से ट्रांच बेस्ड दावा भुगतान शुरू कर दिया गया है।
- इसके अलावा, योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में, सीसीई-एग्री ऐप के माध्यम से उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोग (CCE) डेटा एकत्र करना और इसे NCIP पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को CCE के संचालन की निगरानी करने की अनुमति देना, NCIP के साथ राज्य भूमि अभिलेखों का एकीकरण आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं ताकि किसानों के दावों का समय पर निपटान को बेहतर किया जा सके।
- सरकार ने किसानों और पंचायती राज संस्थाओं (PRI) के सदस्यों के बीच PMFBY की प्रमुख विशेषताओं का प्रसार करने के लिए राज्यों, कार्यान्वयन बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) नेटवर्क द्वारा की जा रही जागरूकता गतिविधियों का सक्रिय रूप से सहायता की है।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा खरीफ 2021 सीज़न से एक संरचित जागरूकता अभियान क्रॉप इंश्योरेंश वीक/फसल बीमा सप्ताह' शुरू किया गया है। इसके साथ ही, योजना कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर किसानों के ज्ञानवर्धन के लिए ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर पर 'फसल बीमा पाठशालाएँ' भी आयोजित की जा रही हैं।
- सरकार ने देशव्यापी स्तर पर घर-घर फसल बीमा पॉलिसी/रसीद वितरण महाअभियान - 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' का भी आयोजन किया था। ग्राम पंचायत/गांव स्तर पर विशेष शिविरों के माध्यम से PMFBY के अंतर्गत नामांकित किसानों को फसल बीमा पॉलिसी रसीदों की हार्ड कॉपी वितरित की गई है।

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से वस्तुपरक फसल क्षति एवं नुकसान आकलन तथा पारदर्शिता के लिए निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों को भी लागू किया गया है:

i. **यस-टेक (तकनीक पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली)** को रिमोट-सेंसिंग आधारित उपज अनुमान में क्रमिक रूप से स्थानांतरित करने के लिए, जिससे उपज का आकलन करने के साथ-साथ निष्पक्ष और सटीक फसल उपज अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। यह पहल खरीफ **2023** से धान और गेहूं की फसलों के लिए शुरू की गई है, जिसमें उपज अनुमान में **30%** वेटेज अनिवार्य रूप से यस-टेक से प्राप्त उपज को दिया जाएगा। **2024** सीज़न से जोड़ा सोयाबीन की फसल को खरीफ गया है।

ii. **विंड्स (मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम)** ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर अति-स्थानीय मौसम डेटा एकत्र करने के लिए मौजूदा नेटवर्क से पाँच गुना बड़ा स्वचालित मौसम केंद्रों (AWS) और स्वचालित वर्षामापी यंत्र (ARG) का नेटवर्क स्थापित करेगा। इसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के समन्वय से अंतर-संचालन और डेटा साझाकरण के साथ एक राष्ट्रीय डेटाबेस में डाला जाएगा। विंड्स न केवल यस-टेक के लिए, बल्कि प्रभावी सूखा और आपदा प्रबंधन, सटीक मौसम पूर्वानुमान और बेहतर पैरामीट्रिक बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए भी डेटा प्रदान करता है।

योजना के प्रावधानों के तहत पहले से ही 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले जनजातीय किसानों सहित सभी इच्छुक किसानों के लिए प्रीमियम-सब्सिडी सहायता उपलब्ध है।

****